न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 731 / 2023

अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र कासी राम जाति जाट निवासी 9 केएनएन रतनपुरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. काशीराम पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी 9 केएनएन रतनपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 30/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 23 / 17 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0. 1140 है0 भूमि में से 1 / 7 हिस्सा व खाता संख्या 20 / 18 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1. 3090 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने समझोता किया हुआ है मुताबिक समझोता रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 23 / 17 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.1140 है0 भूमि में से 1 / 7 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है तथा 9 केएनएन के खाता संख्या 20 / 18 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.3090 है0 भूमि में से में से प0 नं0 332 / 381 (24) के किला नं. 8 की 0.2530 है0 एवं किला नं. 13 / 2 की 0.0440 है0 पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है शेष भूमि पर वादी काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 [illegible] दी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलि[illegible] गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:10:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी स0 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 23/17 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.1140 है0 भूमि में से 1/7 हिस्सा व खाता संख्या 20/18 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.3090 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी स0 1 द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से [illegible] भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि [illegible] पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:10:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 केएनएन के खाता संख्या 20/18 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.3090 है0 भूमि में से प0 नं0 332/381 (24) के किला नं. 8 की 0.2530 है0 एवं किला नं. 13/2 की 0.0440 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जाकर शेष भूमि का वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:10:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 731/2023
अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र कासी राम जाति जाट निवासी 9 केएनएन रतनपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. काशीराम पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी 9 केएनएन रतनपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 731 सन 2023 निर्णय दिनांक 30/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 केएनएन के खाता संख्या 20/18 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 1.3090 है0 भूमि में से प0 नं0 332/381 (24) के किला नं. 8 की 0.2530 है0 एवं किला नं. 13/2 की 0.0440 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जाकर शेष भूमि का वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/10/23....... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:10:16 IST
Reason: SelfAttested